Tender form for causelist printing
due dt.23.08.2011 up-to4.30 p.m.
Tender form fee 100/-

REGISTRAR (ADMN.)
RAJASTHAN HIGH COURT BENCH,
JAIPUR

संलग्न " ख "

कार्यालय :- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर ।

1- विषय ....
के लिए निविदा॥ उन वस्तुओं का नाम लिखिए जिनके लिए निविदा पेश
किये गये हो ॥

2- निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता :-

3-पते पर भेजा गया :- ------------------------------------

4-संदर्भ --

5-निविदा का शुल्क ---------------रूपये --------- कद-रसीद
सं० --------------------दिनांक --------------को जमा करा
दिये गये है ।

6-हम -----------------------------------द्वारा जारी किये गये
टेण्डर नोटिस संख्या ----------------दिनांक ------------वर्णित सभी,
शर्ते को तथा संलग्न कागजो में दी गयी उक्त निविदा कोटि की अग्रिम
शर्तों को भी॥ जिनके कि सभी पृष्ठ पर हमने उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार
करने के लिये हस्ताक्षर किये है मानने के लिए बाध्य है ।

7-----------------------------------निविदा करने की दरे लिखित है ।

8-फर्म आदेश के प्राप्त होने की आदेश संख्या भी अंकित करें । अवधि के भीतर
--भेज दिया जावेगा ।

9-उपरोक्त अंकित दरें ------------------समय के लिए ही मान्य है ।
पारस्परिक समझौते के जरिये समयावधि बढाई जा सकती है ।

10-------------------------------रूपये का ---------------के पत्र में
ड्राफ्ट डिपोजिट रसीद संख्या -------------------दिनांक ---------
एवं संबंधित परिमण्डल के आयकर अधिकारी का चुकती करने का प्रमाण पत्र
एवं आर्ति त बिक्री कर / वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण-
पत्र उसके साथ संलग्न किये गये है ।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न:-

1- ---------------------------

2- ---------------------------

3- ---------------------------

Tender conditions for Printing press matter

निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें ।

1. निविदाऐं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं ।
2. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये ।
3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कॉट छांट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए।
4. निविदा में प्रिन्टिंग की दरें 52 GSM व्हाईट पेपर पर A-4 size में प्रति हजार पेपर दोनो तरफ मुद्रण की दी जाये तथा पेपर का नमूना भी संलग्न करें।
5. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते यथा श्रम, पेपर, स्याही आदि समाहित होगी।राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ कार्यालय द्वारा मात्र कॉजलिस्ट की टाईपशुदा सी.डी./ बटर पेपर ही उपलब्ध करवायी जावेगी। इसके अलावा अन्य मद में कोई सामान,सुविधा अथवा कार्य के लिये किसी राशि का भुगतान नही किया जावेगा
6. निविदाऐं खोली जाने की दिनांक से तीन माह तक निविदा की दरें स्वीकृत की जा सकेगी, उसके बाद स्वत: ही निरस्त हो जावेगी ।
7. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों पर कॉजलिस्ट प्रिन्टींग के कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा । (सबलेट नहीं करेगा)
8. यदि कॉजलिस्ट की प्रिन्टिंग एवं आपूर्ति उच्च न्यायालय प्रशासन की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है अथवा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता को अवसर दिया जा सकेगा।
9. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
10. आदेश जारी किये जाने के बाद कॉजलिस्ट की सुपुर्दगी प्रतिदिन निर्धारित समय पर करनी होगी। कॉजलिस्ट की सुपुर्दगी समय पर नही करने पर प्रति दिवस 25000/- रूपये की Penalty दण्डस्वरूप वसूल की जावेगी। साथ ही कॉजलिस्ट तैयार करने का खर्च वसूल किया जावेगा तथा अमानत राशि भी जब्त करली जावेगी।
11. यदि क्रेता अधिकारी कॉजलिस्ट प्रिन्ट नही करवाता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम कार्य करवाया जाता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।
12. निविदा के साथ निविदादाता को 2 % बयाना राशि रूपये 1,00,000/- लाख का का डी.डी. रजिस्ट्रार(प्रशासन),राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के नाम से देय होगा ।
13. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटि डिपोजिट रूपये 2,50,000/-जमा करानी होगी । बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी ।
14. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विहित समय में करार निष्पादित नहीं करता हैं या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता हैं या आदेशित सामग्री की आपूर्तिप्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी ।
15. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त

करने का अधिकार होगा ।

16. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।

17. क्रय समिति को कॉजलिस्ट की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओ को निगोशियेसशन के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नही पाये जाने पर अथवा सामग्री वॉछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। जिसके लिए निविदादाता कोई दावा नही करेगा।

18. दैनिक एवं वीकली कॉजलिस्ट की सी.डी./ बटर पेपर डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा एक दिन पूर्व सांयकाल 5 से 6 बजें के मध्य दी जावेगी जिसके अनुरूप निर्धारित संख्या में कॉजलिस्ट की प्रतियॉ तैयार कर अगले दिन सुबह 11.00 बजे तक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के कॉजलिस्ट अनुभाग में मशीन मैन को सुपुर्द करनी होगी ।

(अ) सप्लीमेन्ट्री कॉजलिस्ट उसी दिन सांयकाल 5.00 बजे से 6.00 बजे के मध्य डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा सी.डी. के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी जो रात्रि 11.00 बजे तक अर्थात् सी.डी. उपलब्ध कराने के 5 घंटे के भीतर निर्धारित संख्या में मुद्रित कर मशीन मैन को सुपुर्द करनी होगी।

(ब) मशीन मैन कॉजलिस्ट प्रतियॉ गिनकर रसीद देगा। बिना रसीद के आपूर्ति का तथ्य सही नही माना जावेगा।

19. निविदादाता इस तरह के कार्य के लिए वॉछित अनुभव, अपने सैट अप एवं अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध संसाधनों का विवरण संलग्न करेगा । निविदादाता अपने सेट अप में किये गये कार्य के नमूने भी संलग्न करेगा। माननीय क्रय समिति या उसके प्रतिनिधि निविदादाता की कार्य क्षमता का निरीक्षण कर तदानुसार निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र होगें ।

20. वित्त वर्ष 2011-12 में सम्पूर्ण वर्ष कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की अवधि वर्ष दर वर्ष, तीन वर्ष तक बढायी जा सकेगी।

21. माननीय क्रय समिति एक या एक से अधिक निविदादाताओं से सम्पूर्ण अथवा एक-एक दिन बारी-बारी से सम्पूर्ण वर्ष तक रोस्टर में कार्य करवाने का निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होगी।

22. माननीय क्रय समिति कार्य की प्रकृति को देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्ता एवं निगोसियेशन के लिए बुलवाने के लिए स्वतन्त्र होगी।

23. सफल निविदादाता / निविदादाताओं को प्रथम सात दिन तक ट्रायल बेसिस पर कार्य करना होगा। कार्य संतोषजनक होने पर ही कार्यादेश की पुष्टि की जावेगी।

24. बिल महिने की एक तारीख को प्रस्तुत किया जावेगा जिसके साथ सम्पूर्ण माह की सत्यापित रसीदें संलग्न की जावेगी। जिसमें प्रति दिन कॉजलिस्ट में पृष्ठ तथा प्रतियॉ एवं कुल पृष्ठ अंकित होगें।

25. कॉजलिस्ट प्रकाशन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) से ही प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी शंका के निवारण के लिये उपरजिस्ट्रार (न्यायिक) व रजिस्ट्रार (प्रशासन) ही अधिकृत है।

26. पूर्व निविदादाताओं की निविदाएँ वर्तमान निविदा में सम्मिलित की जावेंगी । पूर्व निविदादाता अपनी नयी निविदा में अर्नेस्ट-मनी के संबंध में पूर्व निविदा का विवरण देवें।पुन: अर्नेस्ट-मनी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व निविदादाता अपनी दरों में कमी करके नयी निविदा मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करावें।